

आदेश क्रमांक जो-1/95/ 423-1447 दिनांक 23-8-95

सतलुज निम्न स्तर शाहाबाद मारकण्डा कुक्षेत्र को माध्यमिक स्तर तक स्थाई मान्यता दिनांक 1-4-95 से कक्षा पहली से आठवी कक्षा तक निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. यह संस्था इस विभाग से विशेष अनुदान की मांग नहीं करेगी और अपने ही साधन से विधालय चलायेगी ।
2. भावी नियुक्तियों के समय आरक्षण का ध्यान रखेगी ।
3. संस्था विधालय में नियुक्त स्टाफ के लिये सी०पी० फुल स्क्रीम शीट लागू करेगी ।
4. विधालय निधियों का विधिवत लेखा रखेगी ।
5. यह संस्था रजिस्ट्रेशन कोड की धारा 214 के अन्तर्गत निर्हित सभी शर्तों को पूरा करेगी । यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी शर्त पर कोताही पाई गई तो स्थाई मान्यता वापस ले ली जायेगी ।

॥के० सी० मुप्ता॥

जिला शिक्षा अधिकारी
कुरुक्षेत्र ।

प्र०क्रमांक

सम

प्रेषित है ।

इसकी प्रत निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही

- 1-निदेशक सैण्डरी शिक्षा हरियाणा कण्डोगढ ।
- 2-सहित हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड धिवानी ।
- 3-सभा जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य में
- 4-उपमण्डल शिक्षा अधिकारी धानेसर/मेहवा ।
- 5-जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र ।
- 6-मैनेजर, सतलुज माध्यमिक विधालय शाहाबाद मारकण्डा कु०
- 7-मुख्याध्यापक माध्यमिक विधालय शाहाबाद मारकण्डा कु०

सतलुज

॥सोमु॥

जिला शिक्षा अधिकारी
कुरुक्षेत्र ।

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/158-95-बि:त §2§
दिनांक चण्डीगढ़ 22-11-96

ततलुज हाई स्कूल, शाहबाद § कुस्दैत्र § को मैट्रिक स्तर की
स्थाई मान्यता दिनांक 1-4-96 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :

- 1- विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलाएंगे तथा
ग्रान्ट की माँग नहीं करेंगे ।
- 2- विद्यालय निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी की गई हिदायतों
की पालना करेगा ।
- 3- विद्यालय, हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 214 से 239 तक की शर्तों
की पूर्णतया से पालना करेगा ।

एन:ती:बधवा
निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा ।

पृष्ठोंकन क्रमांक तम दिनांक चण्डीगढ़ 22-11-96

इतकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित है :

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी कुस्दैत्र को उनके यादी क्रमांकजी-3/96/528 दिनांक
14-11-96 के संदर्भ में ।
- 2- अध्यक्ष, हरियाणा विद्यालय शिक्षा, बोड, भिवानी ।
- 3- अधीक्षक, एन:एच: ती: शाखा
- 4- अधीक्षक सैकेण्डरी शिक्षा शाखा
- 5- प्राधानाचार्य/मुख्याध्यापक, ततलुज हाई स्कूल, शाहबाद § कुस्दैत्र §
- 6- मुख्य लेखा अधिकारी, § वि §
- 7- अधीक्षक ऑब्डफ

उप निदेशक विद्यालय-1
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा ।

पुस्तक

निदेशक सैकंडरी शिक्षा हरियाणा चण्डी गढ़

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी

यादी क्रमांक 5123-97 से 010111

दिनांक चण्डी गढ़

10-12-97

विषय

10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना ।

===

विभागीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/ सिफारिश को देखाते हुए सालुज वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहीवाड़ जिला (हिसार)

को शैक्षिक सत्र 1997-98 से 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में जमा 1 तथा जमा 2 कक्षाओं में आदेश, कार्य ~~संबंध~~ संकाय प्रारम्भ करने की स्थाई अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/ विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/ अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे में नार्म अनुसार छात्र/ छात्राओं की वांछित सभी आवश्यक साधन/ सुविधाएँ अपने खर्च पर ही उपलब्ध करायेंगे।
2. 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात् केवल उन्हीं को प्राध्यापक पद पर तृणया जाये जिन्होंने एमएड/ एमएसओ सी/ एमड काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा सह-शिक्षण के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी। इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियाँ भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/ शर्तों के अन्तर्गत की जायेंगी।
3. सभी छात्र/ छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये।
4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे, इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
6. 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय अथवा संकाय शुरू किये जायेंगे जिनकी टीचिंग/ लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/ सुविधाएँ विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनको अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो।

- 7 सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सप्ता -2 पर जारी हिदायतों/निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 8 सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जायेगा।
- 10 यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों।
- 11 स्टाफ का वेतन बैंक चैक के द्वारा ही दिया जायेगा।
- 12 हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जायेंगी।
- 13 संस्था में कार्यरत का छः मास के वेतन के बराबर वसूला राशि जिसे शिक्षा अधिकारी के नाम बैंक में प्लेज करवाई जायेगी।
- 14 विभाग द्वारा अनुमति किसी भी सप्ता नोटिस देकर वापिस ली जायेगी।

उप निर्देशक सैकंडरी शिक्षा
कृते निर्देशक सैकंडरी शिक्षा हरियाणा

पृष्ठांक क्रमांक सम दिनांक 10-12-97
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

प्रबन्धक सहायक शिक्षक, शादीपति, विद्यालय, शोहाबाद, भाखना (उत्तरांचल)

2 तयिक. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।

उप निर्देशक सैकंडरी शिक्षा
कृते निर्देशक सैकंडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़
19/12/97

Office of Director School Education, Haryana Chandigarh

No.18/10-2007 PS (3)

Dated, Chd.13-6-2007

In exercise of powers conferred by rule 34(5) of Haryana School Education Rules, 2003 the **Satluj Sr. Sec. School, Shahbad Markanda (Kurukshetra)** run by **Satluj Public High School Education Society, Shahbad Markanda (Kurukshetra)** is permitted to start **Science stream** in **10+2 class** w.e.f. **1-4-2007** with the following conditions:-

The school authority shall follow —

1. The provisions of Haryana School Education Act, 1995 and Haryana School Education Rules, 2003 amended from time to time.
2. The detail of fee structure and salary paid to the staff will be provided to the department.
3. The qualifications of the faculty should be as prescribed in Annexure A of Haryana School Education Rules, 2003.
4. The approved course of studies as prescribed by department or affiliating Board.

Anil Malik
Director School Education, Haryana
Chandigarh

Endst. No. 18/10-2007 PS (3)

Dated, Chd.19-6-2007

A copy if forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary, Haryana Board of School Education, Bhiwani, Haryana.
2. District Education Officer, Kurukshetra.
3. Manager, Satluj Public High School Education Society, Shahbad Markanda (Kurukshetra).
4. ✓ Principal, Satluj Sr. Sec. School, Shahbad Markanda (Kurukshetra).

 19/6/07
Superintendent PS
For Director School Education, Haryana
Chandigarh